ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष पीठों की स्थापना संबंधी दिशा–निर्देश (2012–17)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली–110002

<u>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग</u>

बारहवीं योजना (2012–2017) की अवधि में विश्वविद्यालय में यूजीसी पीठों के लिए मार्गदर्शिका

1, प्रस्तावनाः

भारतवर्ष में विभिन्न विषयों में छात्रवृत्ति का एक विस्तृत इतिहास है। ज्ञान के प्रजनन तथा प्रसारण के लिए विश्वविद्यालय उपयुक्त मंच उपलब्ध कराते हैं। किसी भी उच्चतर गतिशील समसामयिकी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनसे जुड़े अध्यापन एवं शोध पाठ्यक्रमों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आयामों का एकीकरण आवश्यक है। ज्ञान प्रजनन पर संक्रेन्द्रित करके तथा अन्तर्विषयक परिप्रेक्ष्य से जुड़े सभी मामलों पर विश्वविद्यालयी प्रणाली द्वारा अन्तर्मुखी विचारधारा को सुलभ कराया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयी प्रणाली के अकादमिक संसाधनोंको समृद्ध बनाने तथा विवादग्रस्त मामलों पर गहराई से विचार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन व्यक्तियों के नाम पर, जो नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता विद्वान रहे हैं अथवा अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम पर पीठ योजना सूत्रबद्ध की है। इस पृष्ठभूमि के अनुसार ऐसे महान व्यक्तियों के अद्वितीय योगदानों के क्षेत्रों में पीठों की स्थापना की जा रही है।

2. पीठों का सृजनः

नोबल प्रतिष्ठित विद्वान एवं अपने क्षेत्रों/विशेषज्ञता विषयों में योगदान करने वाले सुविख्यात व्यक्तियों के नाम पर पीठों को नामित किया जाएगा।

3. पीठ/क्षेत्र और विषय का नामः

(I) सुविख्यात व्यक्तियों के नाम पर स्थापित पीठ

क्र.सं.	राष्ट्रीय पीठ	विषय/क्षेत्र
1.	मोतीलाल नेहरू (विद्यमान पीठ)	• विधिक अध्ययन • स्वतन्त्रता आन्दोलन
2.	मौलाना अबुल कलाम आजाद (विद्यमान पीठ)	• पत्रकारिता • शिक्षा • उर्दू एवं अरबी साहित्य • स्वतन्त्रता आन्दोलन
3.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (विद्यमान पीठ)	• स्वतन्त्रता आन्दोलन • अभिशासन
4.	लालबहादुर शास्त्री (विद्यमान पीठ)	• धारित कृषि एवं ग्रामीण विकास • नैतिकता एवं अभिशासन • स्वतन्त्रता आन्दोलन
5.	बाबू जगजीवन राम (विद्यमान पीठ)	• समाज के अधिकतम निर्बल वर्ग के व्यक्तियों का सशक्तीकरण
6.	राजीव गॉधी (विद्यमान पीठ)	• पंचायती राज • सूचना, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकरण • युवा सशक्तीकरण • शान्ति एवं संघर्ष समाधान
7.	स्वामी विवेकानन्द	• राष्ट्रीय एवं सामाजिक जागरूकता • दर्शन शास्त्र • युवा विकास एवं नेतृत्व
8.	महात्मा गॉधी	• शान्ति एवं अहिंसा • स्वतन्त्रता आन्दोलन • राष्ट्रीय समेकन
9.	पंडित जबाहर लाल नेहरू	• स्वतन्त्रता आन्दोलन • अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • गैर निरपेक्ष आन्दोलन

10.	डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर	• सामाजिक समावेश • संवैधानिक अध्ययन
11.	डॉ0 जाकिर हुसैन	• शिक्षा • स्वतन्त्रता आन्दोलन
12.	डॅ0 एस0 राधा कृष्णन	• शिक्षा • दर्शनशास्त्र
13.	सरदार बल्लब भाई पटेल	• राष्ट्रीय समेकन • अभिशासन
14.	पंडित मदन मोहन मालवीय	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • स्वतन्त्रता आन्दोलन
15.	सर सैयद अहमद खॉन	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • धर्म एवं संस्कृति
16.	महात्मा अय्यंकली	• समाज सुधारक एवं दलित वर्गों का पक्षधर
17.	श्रीगुरु गोविन्द सिंह	• समाज सुधारक/सर्वधर्म एवं संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन
18.	स्वामी दयानन्द सरस्वती	• समाज सुधारक/सामाजिक जागृति
19.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय	• सामाजिक आर्थिक विचार और अभिन्न मानवतावाद

(II) नोबल प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वानों के नाम पर पीठ

क्र.सं.	नोबल प्राप्तकर्ता	विषय/क्षेत्र
1.	रबिन्द्रनाथ टैगोर	• साहित्य • कला एवं आस्थायें • संस्कृति • संगीत
2.	सी. वी. रमन	• भौतिकी एवं प्रकाश विज्ञान, चित्रमापी विज्ञान एवं ध्वनि शास्त्र • रसायन शास्त्र
3.	मदर टैरेसा	• मानव अधिकार • महिला सशक्तीकरण

		• शान्ति • गरीबी उन्मूलन एवं मानविकीकरण
4.	सुब्रमन्यम चन्द्रशेखर	• भौतिकी एवं खगोल भौतिकी • खगोल शास्त्र • चुम्बकीय द्रव गतिकी विज्ञान
5.	हरगोबिन्द खुराना	• जीवविज्ञान • रसायन शास्त्र एवं जैव रसायन शास्त्र • शरीर एवं चिकित्सा विज्ञान
6.	अमर्त्य सेन	• आर्थिक विज्ञान • कल्याण अर्थशास्त्र • सामाजिक विकल्प सिद्धान्त • मानव विकास • धारित विकास
7.	वेंकटराम रामाकृष्णन	• संरचनात्मक एवं आणविक जीवविज्ञान • जैव रसायन एवं रसायन विज्ञान

(III) लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम में पीठों की स्थापनाः

क्र.सं.	**राष्ट्रीय पीठ**	**विषय/क्षेत्र**
1.	ई. श्री धरन	• शहरी विकास • भूतल परिवहन
2.	डॉ0 होमी जहॉगीर भाभा	• अन्तरिक्ष विज्ञान
3.	लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ	• साहित्य • कला • संस्कृति
4.	श्री अरबिन्दो	• शिक्षा • दर्शन शास्त्र • योग शास्त्र • अध्यात्मिक विज्ञान

(IV) गोवा विश्वविद्यालय में डायसपोरा (Diaspora) पीठ की स्थापना

4. पीठ प्रोफेसर का चयनः

पद नाम	पीठ प्रोफेसर
अर्हता	अध्ययन के नामित क्षेत्रों में अद्वितीय करियर अभिलेख वाले एक अकादमिक / विद्वान
आयु	55–70 वर्ष
वेतनमान	प्रोफेसर का वेतनमान–रु037,400–67,000 (पीबी4)+एजीपी रु010,000/– (यदि किसी स्थिति में एक कार्यरत प्रोफेसर इस पीठ के लिए चयनित किया जाता है) तथा एक लाख रुपये (समेकित) जो कि एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति के लिए है।
नियुक्ति की अवधि	5 वर्ष (इसे दो वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है वशर्तेकि यह अधिकतम 7 वर्षतकहो, तथा 70 वर्ष से अधिक आयु न हो)
पीठ की अवधि	अधिकतम 5 वर्ष अथवा जब तक कि पदधारी 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है जो भी स्थिति पहले हो तथा 70 वर्ष से अधिक की आयु न हो।
नामांकन की प्रणाली	विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक 3 सदस्यों की समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर नामांकन एवं/अथवा निमंन्त्रण

5. अकादमिक कार्यः

- अध्ययन के विषय क्षेत्र में शोध सम्पन्न करना तथा इसके साथ ही इसके ज्ञान के सम्वर्धन में योगदान करना।
- सार्वजनिक नीति निर्माण में विश्वविद्यालय/अकादमिकों की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- उच्च शिक्षा के अध्यापकों के लिए लघु अवधि क्षमता निर्माणन पाठ्यक्रमों को रूपांकित एवं क्रियान्वित करना जो कि उस पीठ की नामित विषय वस्तु पर संक्रेन्दित हों।
- अन्तर्विश्वविद्यालय/अन्तर्महाविद्यालय स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर विचार विमर्श, चर्चाओं सभाओं, संगोष्ठियों/ग्रीष्म एवं शरद संगोष्ठियों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- लेख/शोध प्रपत्र/रिपोर्ट/पुस्तकें/एक भाषी प्रकाशित करना।
- जिस विभाग अथवा संस्थान में वह स्थित है वहॉ पर अध्यापन एवं उसके पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में भागेदारी करना।

6. पीठों के लिए संभार तन्त्र (लॉजिस्टिक)समर्थन उपलब्ध कराना:

पीठ की स्थापना विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग/केन्द्र अथवा संस्थान में की जानी चाहिए तथा उस पीठ के लिए सभी प्रकार की अकादमिक , प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक (संभार तन्त्र) समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि संस्थान/विभाग के अन्य प्रोफेसरों को उपलब्ध कराया जाता है।

7.निधियन:

(i) पीठों को पॉच वर्ष तक शत प्रतिशत आधार पर निधियन कराया जाएगा जिसे और दो वर्षों तक यूजीसी विनियमों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।
(ii) पुस्तकें एवं पत्रिकायें : रु01,50,000/–पॉच वर्षों की अवधि के लिए तथा विस्तारण की स्थिति में दो वर्षों तक रु030,000/–प्रतिवर्ष।
(iii). यात्रा: (स्थानीय एवं राष्ट्रीय): रु01,00,000/–प्रतिवर्ष।
(iv). सचिवीय सहायता: रु01,50,000/–प्रतिवर्ष।
(v). कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठी/ग्रीष्मकालीन संस्थान–रु01,00,000/–प्रतिवर्ष।
(vi). आकस्मिक (क्षेत्रीय कार्य/आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण/कार्यालय व्यय के लिए, भाड़े पर कार्मिकों को लेने के लिए) रु01,20,000/–प्रतिवर्ष।

8. अन्य कोई–

- पीठ की प्रगति का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय एक तन्त्र विकसित करेगा।
- पीठ की गतिविधियों एवं उनके निष्कर्षो पर विश्वविद्यालय पांच वर्ष के पश्चात यूजीसी को एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- यूजीसी किसी भी समय पीठ के क्रियान्वयन सम्बन्धी पुनरीक्षण को प्रारम्भ कर सकती है।
- पीठ की चालू अवधि के पूरा होने के समय जो अन्य पीठें पहले से ही विद्यमान/सक्रिय होंगी उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में पीठों के लिए आगामी अनुमोदन 12वीं योजना के दिशा–निर्देशों द्वारा अभिशासित होगा।